उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5

संख्या- 35/2017/1097जे/22-5-2017-300(8)2016

लखनऊ : दिनांक 25 मई ,2017

वारण्ट

मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी में मानसिक उपचार हेतु भर्ती केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष निम्न बन्दियों को विजिटर्स बोर्ड की दिनांक 28-11-2016 को सम्पन्न हुई बैठक में मानसिक रूप से स्वस्थ घोषित कर दिया गया है:-

1- खचेड़ू पुत्र श्री मानसिंह 2- नीनू सिंह पुत्र विजय कुमार उर्फ मुन्नू ठाकुर

3- श्यामवीर पुत्र श्री लाखनराम 4-जवाहर पुत्र श्री खुखलाल

2- अतएव उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-518 एवं प्रिजनर्स एक्ट-1900 की धारा-30(2) के अन्तर्गत आदेशित किया जाता है कि उक्त बंदियों को दण्ड की शेष अवधि भोगने हेतु उन्हें केन्द्रीय कारागार, बरेली वापस कर दिया जाये।

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)

अनु सचिव।

संख्या-35/2017/1097जे/22-5-2017-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्निलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित:-

1. महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाऐं, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-13407/सामा-1(1)/मानसिक बंदी/6/2016, दिनांक 01-05-2017 के संदर्भ में मूल संलग्नकों सहित।
2. जिलाधिकारी, बरेली ।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली ।
4. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली को शासन के वारण्ट संख्या-163/2016/1465जेएल/22-3-16-300(8)2016 दिनांक 03-05-2016 के क्रम में।
5. प्रमुख अधीक्षक, मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी।
6. गाई फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in